<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा</u>

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 32/2018 रिव्यू प्रार्थना पत्र

विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा	बनाम	1. देवेन्द्र सिंह पिता रणजीत सिंह निवासी भूणास ग्राम पंचायत भूणास तहसील सहाडा 2. ग्राम पंचायत भूणास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भूणास तहसील सहाडा
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

<u>पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 पुनरीक्षण विरूद्व आदेश दिनांक 10.02.1997</u>

उपस्थित –

1. प्रार्थी की ओर से – विभागीय पेरोकार
2. विपक्षी सं. 01 स्वयं उपस्थित
3. विपक्षी सं. 02 की ओर से – विभागीय पेरोकार

<u>निर्णय</u>

दिनांक 28.03.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आप न्यायालय के प्रकरण सं. 76/2015 उनवान विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा बनाम देवेन्द्र सिंह पिता रणजीत सिंह निवासी भूणास में प्रार्थी निगराकार के उपस्थित नही होने पर प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 23.03.2017 को खारिज किया गया।

प्रार्थी ने उक्त प्रकरण सं. 76/2015 को पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 07.06.2018 को दर्ज कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। जिला अभिलेखालय से निगरानी प्रकरण सं. 76/2015 निर्णय दिनांक 23.03.2017 उनवान विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा बनाम देवेन्द्र सिंह पिता रणजीत सिंह निवासी भूणास की मूल पत्रावली तलब की गयी।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा ने पत्र कमांक/पसस/2018/1117 दिनांक 20.08.2019 से पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भूणास के पटटों के संबंध में दर्ज निगरानी प्रकरणों में रिओपन हेतु पूर्व पत्रांक/115 दिनांक 29.05.2018 को आपके यहां प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था। परन्तु जिला परिषद भीलवाडा के विभागीय जांच के जांच प्रतिवेदन के अनुसार अवलोकन करने पर उक्त रिओपन (पुनः चालू) नही कराया जाकर दर्ज प्रकरणों को नंबर से हटाया जाने का श्रम करावें।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा ने देवेन्द्र सिंह पिता रणजीत सिंह निवासी भूणास के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की जिसके प्रकरण सं. 76/2015 दिनांक 02.12.2015 को दर्ज की गयी। इस प्रकरण में

प्रार्थी एवं प्रार्थी पेरोकार के उपस्थित नही होने पर उक्त प्रकरण को दिनांक 23.03.2017 को प्रार्थी की अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण सं. 76/2015 को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2018 को प्रस्तुत किया। जिसके प्रकरण सं. 32/2018 से दर्ज किया गया। इस प्रकरण के दौराने कार्यवाही प्रार्थी ने दिनांक 12.09.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण सं. 76/2015 को पुनः नम्बर पर नही लेने हेतु निवेदन किया है। अतः प्रार्थी के स्वयं के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण सं. 32/2018 में की जा रही कार्यवाही समाप्त की जाती है। जिला अभिलेखालय से तलब पत्रावली पुनः लौटायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)